प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला–** जयपुर, **थाना–**प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2022
   प्र0इ0रि0 सं. ....224/22.... **दिनांक**....8/06/2022
2. (I) **अधिनियम...** धारा 7 पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018
   (II) ***अधिनियम** .... **धारायें**
   (III) * **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (IV) * **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....140.... **समय** 6:30 pm
(ब) अपराध घटने का दिन मंगलवार **दिनांक** 07.06.2022 **समय** 5.32 पी.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित**
5. **घटनास्थल :–**पटवार घर पटवार हल्का बस्सीनागा, ग्राम पंचायत बस्सी नागा कार्यालय परिसर
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पश्चिम करीब 65 किमी
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....
6. **(1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**
   (अ) नाम– श्री गोपीराम भामू
   (ब) पिता/पति का नाम– श्री धूड़ा राम
   (स) जन्म तिथी– उम्र– 42 साल
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय –
   (ल) पता– ग्राम तिबारिया पुलिस थाना जोबनेर, जयपुर।
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**
   1. श्री राहुल त्रिवेदी पुत्र श्री रमाकान्त त्रिवेदी जाति ब्राह्मण उम्र 31 वर्ष निवासी प्लाट नं. 57 महाराजा कॉलोनी तीन दुकान, मुरलीपुरा सीकर रोड पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर, हाल पटवारी पटवार हल्का बस्सी नागा तहसील जोबनेर, जिला जयपुर
8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..........**
9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–** 10000/– रूपये
11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–**

दिनांक 07.06.2022 को समय करीब 10.45 ए.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक भंवर सिंह को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री गोपीराम भामू है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन करते हुये प्रार्थना पत्र मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री गोपीराम भामू के मेरे कक्ष में आया तथा श्री गोपीराम भामू से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गोपीराम भामू पुत्र श्री धूड़ा राम भामू जाति जाट उम्र 42 साल निवासी तिबारिया पुलिस थाना जोबनेर, जयपुर, मोबाईल नंबर 9829091169 होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपीराम भामू द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर II विषयः रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत। महोदय जी, निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री गणेशराम उर्फ धूड़ाराम ने ग्राम

तिबारिया ग्राम पं. बस्सी नागा तह. जोबनेर जिला जयपुर के खसरा नं. 230/45 क्षे. 3.3636 है. का दिनांक 2.5.2022 को मेरी माताजी श्रीमती सोनी देवी व मेरी पत्नी श्रीमती सुनिता व छोटे भाई की पत्नी श्रीमती मोनिका लाखराण के नाम जमीन बख्शीशनामा किया जिसका नामान्तरण खुलवाने के लिये मैंने हल्का पटवारी बस्सी नागा श्री राहुल कुमार को बख्शीशनामा की फोटो कॉपी दी थी उसके पश्चात पटवारी राहुल कुमार ने मेरी माताजी श्रीमती सोनी देवी के बख्शीशनामा तस्दीक कर दिया परन्तु मेरी पत्नी व छोटे भाई की पत्नी के नाम बख्शीशनामा का नामाकरण तस्दीक नही किया। दिनांक 6.6.2022 को में पटवारी राहुल कुमार से मिला तो उसने बताया कि दस हजार रूपये लगेंगे जिस पर मैंने कहा की मेरा सही नामान्तरण तस्दीक के रूपये किस बात के तो उसने कहा कि ये जो तुम्हारा नामाकरण तस्दीक करवाना है तो दस हजार रू. देने पड़ेंगे मैं पटवारी राहुल कुमार को रिश्वत नही देना चाहता उसको रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूं मेरी राहुल कुमार से कोई उधारी लेन देन नही है ना ही आपसी रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 7.6.2022 भवदीय एसडी गोपीराम गोपीराम भामू पुत्र श्री धूड़ाराम भामू नि. तिबारिया थाना जोबनेर जयपुर एम. 9829091169 मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि यह प्रार्थना–पत्र मेरे स्वयं द्वारा लिखा गया है। दिनांक 02.05.2022 को मेरे पिताजी गणेशराम उर्फ धूड़ाराम ने ग्राम तिबारिया पटवार हल्का बस्सीनागा तहसील जोबनेर जिला जयपुर के खसरा नं. 230/45 रकबा 3.3636 हेक्टेयर में सम्पूर्ण रकबे के 30/133 कृषि भूमि मेरी माताजी सोनी देवी व 60/133 मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता भामू व मेरे छोटे भाई की पत्नी श्रीमती मोनिका लाखराण के नाम के बख्शीशनामा किया था जिसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय उप पंजीयक साम्भर में दिनांक 02.05.2022 को करवाया था। उसके पश्चात् बख्शीशनामा के आधार पर मेरी माताजी सोनी देवी व मेरी पत्नी सुनीता भामू व छोटे भाई की पत्नी श्रीमती मोनिका लाखराण के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाने हेतु पटवार हल्का बस्सी नागा के पटवारी श्री राहुल कुमार को बख्शीशनामा की फोटोकॉपी दी थी इस पर राहुल कुमार ने मेरी माताजी का नामान्तकरण दिनांक 30.05.2022 को स्वीकृत कर दिया व मेरी पत्नी व मेरे छोटे भाई की पत्नी का नामान्तकरण तस्दीक नही किया। इस पर मैं दिनांक 06.06.2022 को हल्का पटवारी राहुल कुमार से मिला तो उसने मेरी पत्नी व छोटे भाई की पत्नी के बख्शीशनामा का नामान्तकरण स्वीकृत करने के दस हजार रूपये रिश्वत के स्वयं के लिए और तहसील के खर्चे के लिए मांग रहा है। मैं श्री राहुल कुमार को रिश्वत नही देना चाहता। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजीद दरयाफ्त पर बतायेनुसार मामला प्रथम दृष्टया लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत लेन देन से पूर्व रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। इसके पश्चात् कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री गोपीराम भामू को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री अशोक कुमार कानि. 99 को कार्यालय में तलब कर परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री गोपीराम भामू परिवादी को जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी श्री गोपीराम भामू व श्री अशोक कुमार कानि. को सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके बाद पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री विष्णु कुमार, वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त, जोन मालवीय नगर, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर व श्री सुरेन्द्र कुमार तिवाड़ी, कनिष्ट सहायक कार्यालय उपायुक्त, जोन मालवीय नगर, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। इसके पश्चात् समय करीब 3.00 पी.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि. 99 मय परिवादी श्री गोपीराम भामू के कार्यालय में उपस्थित आया व श्री अशोक कुमार कानि. 99 ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं तथा परिवादी श्री गोपीराम भामू ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय रूप से रिश्वत मांग का सत्यापन करने हेतु रवाना होकर समय करीब 12.50 पी.एम. पर ग्राम पंचायत बस्सी नागा, तहसील जोबनेर से कुछ दूरी पहले पहुंचकर, परिवादी श्री गोपीराम भामू से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया, परिवादी पैदल पैदल ग्राम पंचायत बस्सी नागा के अन्दर चला गया। मन् कानि. अपनी उपस्थिति को छुपाते हुये ग्राम पंचायत बस्सी नागा के आस पास मुकीम हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री गोपीराम भामू ग्राम पंचायत बस्सी नागा के कार्यालय से वापस मेरे पास आया जिससे मैंने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी श्री गोपीराम भामू ने मुझे बताया कि पटवारी श्री राहुल कुमार से रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में मेरी बातचीत हुई है जो डिजिटल

वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई हैं। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत बस्सी नागा से मैं व परिवादी श्री गोपीराम भामू बस्सी नागा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। इसके पश्चात् परिवादी श्री गोपीराम भामू से पूछने पर उसने अशोक कुमार कानिस्टेबल की बातों की ताईद करते हुये बताया कि मैं श्री अशोक कुमार कानिस्टेबल के साथ कार्यालय से रवाना होकर ग्राम पंचायत बस्सी नागा से कुछ पहले पहुंचे जहां श्री अशोक कुमार कानिस्टेबल ने मुझसे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर चालू कर मुझे सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। इस पर मैं रवाना होकर ग्राम पंचायत बस्सी नागा कार्यालय के अन्दर जाकर श्री राहुल कुमार पटवारी, पटवार घर के जिस कमरे में बैठता है उस कमरे में पहुंचा जहां पटवारी श्री राहुल कुमार 2–3 व्यक्तियों के साथ बैठा मिला। इसके बाद श्री राहुल कुमार पटवारी ने उसके पास बैठे व्यक्तियों के सामने कुछ देर बात करने के पश्चात् मुझे साईड में ले जाकर बात की जिसमें उसने मुझसे कहां की आपका काम करने के लिए 10000 रूपये लगेगे तथा मेरा खर्चा पानी जो आपको मर्जी हो दे देना तथा मुझसे पूछा की आपने मेरे कितने सोच रखे है तो मैने पटवारी राहुल कुमार से कहा कि मैने आपके 500 रूपये सोच रखे है। इस पर उसने कहां कि इससे ज्यादा तो मेरा पेट्रोल ही खर्च हो जाता है तथा स्वयं के लिए 2000 रूपये अलग से देने के लिए कहा तथा बात करते हुये बाद में कहा कि मैं मेरे 2000 रूपये छोड सकता हूं लेकिन 10000 रूपये तो लगेगे। पटवारी श्री राहुल कुमार से बात कर मैं वापस श्री अशोक कुमार कानिस्टेबल के पास आया, जिन्होने मुझसे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख लिया। इसके पश्चात् मैं व श्री अशोक कुमार कानि. ग्राम पंचायत बस्सी नागा से रवाना होकर आपके कार्यालय में वापस आ गये। इसके अतिरिक्त परिवादी ने बताया कि पटवारी राहुल कुमार ने पैसे लेकर मुझे आज ही बुलाया है तथा कहा है कि सांय 6–7 बजे तक मैं ग्राम पंचायत बस्सीनागा में ही मिलूंगा। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की बातों की ताईद करने के लिए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत मांग सत्यापन होना पाया गया एवं रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता के अनुसार संदिग्ध कर्मचारी राहुल पटवारी द्वारा परिवादी की पत्नी व छोटे भाई की पत्नी का नामान्तकरण खोलने के कार्य के लिए परिवादी से 10,000/– रूपये की रिश्वत की मांग की गई है व रिश्वत प्राप्ति हेतु आज शाम का समय निश्चित किया गया है व आज ही परिवादी को पैसे लेकर बुलाया गया है। समय कम होने से मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट बाद में तैयार की जावेगी। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार तिवाड़ी को अपने कक्ष में बुलाया व उपस्थित परिवादी गोपीराम भामू से परिचय कराकर इनके द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत कराकर, ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति प्राप्त कर, प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर कराकर दौराने मांग सत्यापन परिवादी व संदिग्ध आरोपी राहुल पटवारी के मध्य डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज सत्यापन वार्ता को सुनाया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गोपीराम भामू को संदिग्ध आरोपी श्री राहुल पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री गोपीराम भामू ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौरूपये के 20 नोटों कुल 10,000/– रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री गोपीराम भामू की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री गोपीराम भामू की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से रखवाया गया। श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था। उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री राजकुमार हैड कानि. 55 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी गोपीराम भामूएवं स्वतंत्र गवाहान को समझाया

गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। तत्पश्चात परिवादी गोपीराम भामूको हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मो0 नं0 9772201651 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया, श्री राजकुमार हैड कानि. 35 के दोनों हाथों व गिलास को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबोक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री गोपीराम भामू को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री गोपीराम भामू को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय करीब 4.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमति प्रीती चेची पुलिस निरीक्षक, अशोक कुमार कानि. 99, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66, श्री कुमार सानू कानि.138, श्री विरेन्द्र वरिष्ठ सहायक एवं श्री विष्णु कुमार स्वतंत्र गवाह, श्री सुरेन्द्र कुमार तिवाड़ी स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी श्री गोपीराम भामू मय ट्रेप बॉक्स एवं कार्यालय का सरकारी लेपटॉप मय प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन मय चालक एवं प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये तथा श्री राजकुमार मुख्य आरक्षक संख्या 35 को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय मे ही छोड़ा गया। समय करीब 5.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ग्राम पंचायत बस्सी नागा कार्यालय परिसर से कुछ पहले पहुंचकर दोनों वाहनों को रूकवाकर सड़क के साईड में खड़ा करवाया। इसके पश्चात् परिवादी श्री गोपीराम भामू को वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर आरोपी के पास ग्राम पंचायत बस्सी नागा के कार्यालय के लिए पैदल–पैदल रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य भी परिवादी के पीछे पीछे पैदल रवाना होकर ग्राम पंचायत बस्सी नागा के कार्यालय परिसर के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुए। इसके पश्चात् समय करीब 5.32 पी.एम. परिवादी श्री गोपीराम भामू ने अपने मोबाईल नम्बर 9829091169 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9772201651 पर मिस कॉल कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के ग्राम पंचायत बस्सी नागा के कार्यालय परिसर में पहुंचा जहां पर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर के पटवार घर के कमरे के अन्दर परिवादी श्री गोपीराम भामू टेबल के सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मौजूद मिला। परिवादी श्री गोपीराम भामू से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया। परिवादी गोपीराम भामू ने कमरे में अपने सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि यही राहुल पटवारी है, जिन्होंने अभी–अभी मेरे से मेरी पत्नी श्रीमति सुनीता भामू व छोटे भाई की पत्नी मोनिका लाखरान के नाम गिफ्ट डीड का नामान्तकरण खोलने की ऐवज में 10,000/– रूपये रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर आपको आता हुआ देखकर अपने सामने रखी टेबिल पर रख दिये। इस पर राहुल पटवारी के दांये हाथ को श्री कुमार सानू कानि. से व बांये हाथ को गवाह श्री विष्णु कुमार से पोंचो से पकडाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर श्री राहुल से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुल त्रिवेदी पुत्र श्री रमाकान्त त्रिवेदी, उम्र 31 वर्ष जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं. 57, तीन दुकान, महाराजा कालोनी, डहर के बालाजी, सीकर रोड़ मुरलीपुरा, जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का बस्सी नागा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर होना बताया। आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी पटवारी से परिवादी श्री गोपीराम भामू से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 10,000/– रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी राहुल त्रिवेदी ने कहा कि मैने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर परिवादी श्री गोपीराम भामू ने कहा कि इन्होंने मुझसे मेरी पत्नी श्रीमति सुनीता भामू व छोटे भाई की पत्नी मोनिका लाखरान के नाम गिफ्ट डीड का नामान्तकरण खोलने की ऐवज में 10,000/– रूपये रिश्वत राशि तहसीलदार का नाम लेकर मांगी थी, जिसके कम में इन्होंने मेरे से 10000 रूपये आज अभी प्राप्त किये है।

इस पर आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी से पुनः पूछा तो उसने पुनः रिश्वत राशि प्राप्त करने से मना किया एवं तहसीलदार के लिए रिश्वत राशि प्राप्त करने से मना किया। तत्पश्चात परिवादी गोपीराम भामू व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी राहुल त्रिवेदी पटवारी के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी गोपीराम भामू तथा आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री गोपीराम भामू तथा आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी पटवारी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार तिवाड़ी से आरोपी राहुल तिवाड़ी के सामने उसकी टेबिल पर रखी पांच–पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डी को उठवाकर गिनवाया तो पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोटो के नम्बर कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी की टेबिल के जिस स्थान पर रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस स्थान को रूई के फोहे की सहायता से रगड़ कर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा डालकर सील मोहर कर मार्क टी–1, टी–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् रूई के फोहे को सुखवाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–टी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी की तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार तिवाड़ी से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई जींस पेंट की पीछे की जेब में एक पर्स मिला जिसमें 3097/– रूपये नगद व स्वयं का आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति मिली व एक मोबाईल वन प्लस कंपनी का मय दो सिम एयरटेल कंपनी व जियो कंपनी के मिला। उपरोक्त नगद 3097 रूपये के बारे में आरोपी राहुल त्रिवेदी ने घर से लाना व उसके निजी खर्चे के होना बताया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया। इसके बाद आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने बाबत जरिये नोटिस पूछा, जिसने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। इसके पश्चात् समय 8.00 पी.एम. पर आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी के विरूद्व अपराध धारा 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी राहुल त्रिवेदी पटवारी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया व आरोपी की जामा तलाशी का सामान मौके पर उपस्थित श्री लालसिंह राठौड, नायब तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर को सुपुर्द किया। श्री लालसिंह राठौड, नायब

तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर से परिवादी श्री गोपीराम भामू की पत्नी व भाई की पत्नी के नामान्तकरण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की सत्य प्रति व आरोपी राहुल त्रिवेदी का सेवा विवरण प्राप्त कर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 8.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक बाद ट्रेप कार्यवाही मय हमराहीयान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी राहुल त्रिवेदी, जप्तशुदा अलामात मुताबिक फर्द व परिवादी के राजकीय एवं प्राईवेट वाहन के घटनास्थल से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। जप्तशुदा आलामात को स्वयं की कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा। इसके पश्चात् समय करीब 10.50 पी.एम. पर मय मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को उपस्थित गवाहान व परिवादी गोपीराम भामू की उपस्थिति में ऑन कर स्वयं के कार्यालय लेपटॉप की सहायता से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 07.06.2022 को दौराने सत्यापन परिवादी व आरोपी राहुल त्रिवेदी की दर्ज वार्ता एवं दौराने रिश्वत लेन–देन वार्ताओं के पृथक–पृथक वॉईस क्लिप को सुनकर ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की। दर्ज वार्ताओं में उपस्थित परिवादी गोपीराम भामू ने गवाहान की उपस्थिति में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी राहुल त्रिवेदी पटवारी की होने की पहचान की। उपरोक्त सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ताओं की लेपटॉप की सहायता से मुताबिक फर्द पांच सी.डी. तैयार की जाकर मार्क ए–1, ए–2, ए–3, ए–4, ए–5 अंकित कर सीडी मार्क ए–1, ए–2 को सील्ड मोहर किया एवं सीडी मार्क ए–3, ए–4, ए–5 को क्रमशः अनुसंधान अधिकारी, एडीपी, आरोपी को आरोप पत्र के साथ दिये जाने के लिए खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर परिवादी श्री गोपीराम भामू एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को बाद मुनासिब हिदायत रूखसत किया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त कर शील्ड किये गये धोवन के सैम्पल, बरामदशुदा रिश्वती राशि, रूई के फोहे का पैकेट व रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत लेन–देन वार्ता की शील्डशुदा सीडीयों को मालखाना में जमा करवाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से स्पष्ट है कि श्री राहुल त्रिवेदी पटवारी पटवार हल्का बस्सीनागा तहसील जोबनेर जयपुर के द्वारा परिवादी श्री गोपीराम भामू की पत्नी श्रीमति सुनीता भामू व उसके छोटे भाई की पत्नी मोनिका लाखरान के नाम गिफ्ट डीड का नामान्तकरण खोलने की ऐवज में दिनांक 07.06.2022 को 10000/– रूपये की रिश्वत की मांग कर मांग के अनुसरण में दिनांक 07.06.2022 को परिवादी श्री गोपीराम भामू से 10000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई, जो उसके सामने रखी टेबल से बरामद हुई। जिससे श्री राहुल त्रिवेदी पटवारी पटवार हल्का बस्सीनागा तहसील जोबनेर जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में कारित किया जाना पाया गया है।

अतः श्री राहुल त्रिवेदी पुत्र श्री रमाकान्त त्रिवेदी जाति ब्राह्मण उम्र 31 वर्ष निवासी प्लाट नं. 57 महाराजा कॉलोनी तीन दुकान, मुरलीपुरा सीकर रोड पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर, हाल पटवारी पटवार हल्का बस्सी नागा तहसील जोबनेर, जिला जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

08.06.22

(भंवर सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भंवर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल त्रिवेदी, हाल पटवारी, पटवार हल्का बस्सी नागा, तहसील जोबनेर, जिला जयुपर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 224/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1974-78 दिनांक 8.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

8.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।